



REO 197

**जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर**

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./फा० ग्रिवेन्सेज/प्रे० 1494 दिनांक 29-07-2011

—आदेश—

विषय:-फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने के सम्बन्ध में।

शासन उपसचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.12(10)/ऊर्जा/2006 दिनांक 17.12.09 में वर्णित मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 113/2009, 3(ख) की अनुपालना में पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को उच्च प्राथमिकता से बूंद-बूंद/फव्वारा सिंचाई पद्धति के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना कतिपय शर्तों के अधीन निगम के आदेश संख्या जोडि/अ.प्र.नि./अ.अ./पी.पी. एण्ड एम./फा. /प्रे. 2648 दिनांक 11.01.10 (आर.ई.ओ-175) एवं निगम के आदेश संख्या जोडि/अ.प्र.नि./अ.अ./पी.पी. एण्ड एम./फा. /प्रे. 3001 दिनांक 05.03.10 (आर.ई.ओ-178) द्वारा लागू की गयी थी।

आर.ई.ओ-180 के द्वारा पंजीकृत आवेदकों की तिथि को दिनांक 31.12.2009 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.10 किये जाने के आदेश निगम द्वारा क्रमांक:जोडि/अ.प्र.नि./अ.अ./पी.पी.एम/फा./प्रे. 3328 दिनांक 22.03.10 के द्वारा जारी किये गये।

डिस्कॉम समन्वय मंच की 11.07.11 को सम्पन्न 26वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त योजना के तहत उच्च प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन प्राप्त करन हेतु आर.ई.ओ-180 में निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.03.2010 को समाप्त किया जाता है, तथा अब सभी योग्य आवेदकों (यथा सामान्य श्रेणी में पंजीकृत सभी आवेदक) को उक्त योजना के तहत फव्वारा एवं बूंद-बूंद पद्धति से सिंचाई करने के लिए कृषि कनेक्शन उच्च प्राथमिकता से प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करवाने की अनुमति दी जाती है।

पूर्व में जारी आदेश एवं आर.ई.ओ.-175 आर.ई.ओ-178 की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

(डी.डी. जोशी)

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य/संभागीय अभियन्ता (जो.स.-द्वितीय/जो.स.प्रथम/बी.स.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी (ए एण्ड आर/...../.....), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/आई एण्ड एम/आर ए एण्ड सी/टी.डब्ल्यू/वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/(बीएफएल)जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (/पवस/विधि/सतर्कता/अंकेक्षण) जोविनिनि. (आप के अधीनस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न है।)
- जनसम्पर्क अधिकारी जोविनिनि. जोधपुर

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर